न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/6314

श्री ... द्वारा आज दिन 26-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 09-01-18 नियत।
26-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– शीला बाई वेवा राधेलाल लोधी

2– श्रीमती शशी लोधी पत्नी मायाराम लोधी
निवासीगण– ग्राम अमोलपठा, तहसील
करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र.

....................आवेदिकागण

बनाम्

1– म.प्र. शासन द्वारा तत्कालीन तहसीलदार
करैरा जिला शिवपुरी

2– श्रीमती वती पत्नी भागीरथ लोधी

3–भागीरथ लोधी पुत्र पन्ना लोधी निवासी
शकरगढ, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

................अनावेदकगण

(L.S. Dhakad 26/12/17)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 81/2011–12अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 13.07.12 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत

माननीय न्यायालय,

D Shukla 26/12/17
शाखा प्रभारी (रा.म.)
... महाधिवक्ता, ग्वालियर

आवेदिकागण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेशित है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदक कमांक 2 व 3 पति पत्नी है जिनके द्वारा विवादित् शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 78, 79 का आवंटन दखल रहित भूमि विशेष अधिनियम के तहत प्रकरण कमांक 299/94–95 अ–19 एवं कमांक 147, 150 का प्र.क. 286/94–95 अ–19 से होना बताया बताया है। जवकि उक्त सर्वे कमांक का कोई आबंटन हुआ ही नहीं है। किन्तु तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/6314

शीलाबाई आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-81/2011-12/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 13/7/12 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	